

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार : करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

वन संरक्षक, जहांगिर की मजदूरी के सम्बन्ध में स्वीकृति दी जाती है

12/11/19

12/11/19

हस्ताक्षर :
नाम : मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
मोहर : वन (संरक्षण) अभिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।